न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 49/2024

श्री कमलेश सैनी पुत्र नाथू लाल सैनी निवासी मिश्रा कॉलोनी चतुर्भुज तालाब के आगे टोंक --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.11.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 433 दिनाक 30.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

(1) दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 24.07.2024 तक तहसीलदार टोंक एवं उसके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की नाम एवं कार्यरत अवधि सहित प्रमाणित-सूची उपलब्ध करावें।
(2) दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 24.07.2024 तक तहसीलदार टोंक एवं उसके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नाम एवं अवधि सहित आवंटित कार्यों की प्रमाणित सूची उपलब्ध करावें।
(3) दिनांक 01.01.2019 से 24.07.2024 तक मिश्रा कॉलोनी टोंक (खसरा नम्बर 5698 गैर मुमकिन पाल) तहसीलदार टोंक से सम्बन्धित आवंटित चार्ज की अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं अवधि सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
(4) खसरा नम्बर 5698 गैर मुमकिन पाल पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में दिनांक 01.01.2019 से 24.07.2024 तक तहसीलदार टोंक द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करावें।
(5) खसरा नम्बर 5698 गैर मुमकिन पाल टोंक का दिनांक 18.07.2022 को वन विभाग एवं तहसीलदार टोंक द्वारा किये गये संयुक्त मौका रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र क्रमांक 1321 दिनांक 09.9.2024, 1411 दिनांक 26.09.2024 व 1499 दिनांक 10.10.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र क्रमांक 11344 दिनांक 14.10.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई

जिला कलेक्टर
टोंक

सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 10266 दिनांक 03.09.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक